अंचल अधिकारी ....करी.... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- ....02/2016....

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

19.07.2016

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 संलग्नित श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– [illegible] ...... थाना– 111 ...... खाता संख्या–...42...... प्लॉट संख्या– 12 ...... रकबा 2.64...... एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या ......2......के पृष्ठ संख्या–...34...... पर जमाबंदी रैयत मनबोध सिंह वो जगदेव सिंह कपिल सिंह के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध जोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक ...05.08.16... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

19.07.16

अंचल अधिकारी

24-10-16 01 अभिलेख उपस्थापित।

02 नोटिस तामिला प्राप्त है।

03 रैयत के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04 KC/CI का प्रतिवेदन अधूरा है।

अतः रैयत को पुनः नोटिस करें।

KC/CI स्पष्ट प्रतिवेदन दें।

अभिलेख 31-10-16 को उपस्थापित करें।

(signature)
24.10.16

31.10.16 — अभिलेख उपस्थापित।

— नोटिस तामिला प्राप्त है।

— KC/CI का प्रतिवेदन प्राप्त है।

— रैयत अनुपस्थित है।

— रैयत को दिनांक 08.11.16 को अपने सबूत कागजात के साथ अंचल अधिकारी के समक्ष में उपस्थित होने के लिये नोटिस करें।

— अभिलेख 08.11.16 को उपस्थित करें।

(signature)
31.10.16

शीट - 2

8.11.16 — अभिलेख उपस्थापित हुआ।
— नोटिस तामिला प्राप्त है।
— रैयत उपस्थित नहीं हुए।
— अभिलेख दिनांक 16.11.16 को रखें।

08.11.16

02/16-17 शीट-3

दिनांक 16.11.16

- अभिलेख उपस्थापित।
- नोटिस तामिला प्राप्त है।
- रैयत अनुपस्थित।
- राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन अप्राप्त।
- सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 28.11.16 को रखी जाती है।
- राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि उक्त तिथि के पूर्व अपना स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करें।
- रैयत को दिनांक 28.11.16 को अंचल अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर राजस्व कागजात प्रस्तुत करने के लिए नोटिस करें।
- अभिलेख दिनांक 28.11.16 को उपस्थापित करें।

[signature] 16.11.16

अंचल अधिकारी
कर्रा (खूँटी)

अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदी रैयत या उनके वारिसों द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुनः नोटिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक 10/11/2020 को रखें।

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
10.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत मनबोध व जगदेव सिंह पिता कपिल सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है , जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा डूफु, थाना नं0 111 के सर्वे खतियान में खाता सं0 42, प्लॉट सं0 12, रकबा 2.64 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास परती कदीम दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii में खाता सं0 42, प्लॉट सं0 12, रकबा 2.64 एकड़ भूमि मनबोध व जगदेव सिंह पिता कपिल सिंह के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। वर्तमान पंजी II में लगान रसीद निर्गत करने का उल्लेख नहीं है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती / जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल–कब्जा नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा डूफू, थाना नं0 111 खाता सं0 42 रकबा 2.64 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत मनबोध व जगदेव सिंह पिता कपिल सिंह के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा डूफु, थाना नं0 111 खाता सं0 42 प्लॉट सं0 12 रकबा 2.64 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	